अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 28/14

पालासिंह पुत्र जीवनराम जाति बावरी निवासी 54 एलएनपी तह0 रायसिंहनगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. करतारसिंह पुत्र जीवनराम जाति बावरी निवासी जालवाली तह0 घड़साना
2. जीतसिंह पुत्र जीवनराम जाति बावरी निवासी 1 बीजीएसएम तह0 अनूपगढ
3. दर्शनसिंह पुत्र जीवनराम जाति बावरी निवासी खानूवाला तह0 खानूवाली
4. जयकौर पत्नी जीवनराम जाति बावरी निवासी 54 एलएनपी तह0 रायसिंहनगर
5. नन्दकौर पुत्री जीवनराम जाति बावरी निवासी 54 एलएनपी तह0 रायसिंहनगर हाल 5 के डी तह0 घड़साना
6. भजन कौर पुत्री जीवनराम जाति बावरी निवासी गुजरी तह0 घड़साना
7. बलदेवसिंह पुत्र मोहन सिंह जाति बावरी निवासी 54 एलएनपी तह0 रायसिंहनगर
8. गुरदेवसिंह पुत्र मोहन सिंह जाति बावरी निवासी 54 एलएनपी तह0 रायसिंहनगर
9. मायादेवी पुत्री मोहन सिंह जाति बावरी निवासी 1ए एसडीवाई ढाणी तह0 घड़साना
10. सुगनादेवी पुत्री मोहन सिंह पत्नी मखनसिंह जाति बावरी निवासी किकरवाली तह0 श्रीविजयनगर।
11. नानकीदेवी पुत्री मोहन सिंह पत्नी करतारसिंह जाति बावरी निवासी 1ए एसडीवाई तह0 घड़साना
12. मुख्त्यारकौर पुत्री मोहन सिंह पत्नी नानकसिंह जाति बावरी निवासी 4 ए एफडी तह0 श्री विजयनगर
13 नायब तहसीलदार, रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 218 दिनांक 06–1–14 उप तहसीलदार, रायसिंहनगर।

उपस्थित :1.श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री भजन लाल टॉक, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1 से 3
3. श्री सुरेन्द्र बिश्नोई, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 7 से 12
4. रेस्पो0 सं0 4 से 6 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

आदेश **दिनांक : 25–04–16**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता स्व0 जीवन राम के नाम से चक 54 एलएनपी के मु0 नं0 13 में 4.948 है0 रकबा अलॉट हुआ था। रेस्पो0 अपने पिता से अलग

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

रहते थे। अपीलांट अपने पिता के साथ रहकर सेवा करता था। जीवनराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 6–7–12 को एक पंजीकृत दानपत्र तहरीर करवाया जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। जीवनराम के देहान्त के बाद अपीलांट ने दान पत्र के आधार पर इंतकाल अपने नाम करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। इसी बीच रेस्पो0 ने एक दावा उप जिलाधीश, रायसियंहनगर के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिनांक 30–12–13 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। पटवारी हल्का ने कहा कि जब तक दावा का निर्णय नहीं होता तब तक जमीन का इंतकाल नहीं हो सकता। लेकिन रेस्पो0 ने मिलीभगत करके इंतकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व न तो नोटिस जारी किया गया और न ही सुना गया। कब्जा अपीलांट के पास है। रेस्पो0 को दानपत्र का ज्ञान था । तथ्यों को छुपा कर मिलीभगत कर रेस्पो0 ने इंतकाल अपने नाम से करवा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रकिया नहीं अपनाई गई है। लैण्ड रिकार्ड रूल्स के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अपीलाधीन आदेश से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलांट के पिता स्व0 जीवन राम के नाम से चक 54 एलएनपी के मु0 नं0 13 में 4.948 है0 रकबा अलॉट हुआ था। रेस्पो0 अपने पिता से अलग रहते थे। अपीलांट अपने पिता के साथ रहकर सेवा करते थे। जीवनराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 6–7–12 को एक दानपत्र पंजीबद्ध करवाया जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। जीवनराम के देहान्त के बाद अपीलांट ने दान पत्र के आधार पर इंतकाल अपने नाम करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। इसी बीच रेस्पो0 ने एक दावा उप जिलाधीश, रायसियंहनगर के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिनांक 30–12–13 को स्थगन आदेश जारी करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व न तो नोटिस जारी किया गया और न ही सुना गया। कब्जा अपीलांट के पास है। रेस्पो0 को दानपत्र का ज्ञान था । तथ्यों को छुपा कर मिलीभगत कर रेस्पो0 ने इंतकाल अपने नाम से करवा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रकिया नहीं अपनाई गई है। लैण्ड रिकार्ड रूल्स के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत्यू प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल दर्ज

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

किया गया है। समस्त विधिक कार्यवाही पूर्ण कर इंतकाल स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि रेस्पो0 सं0 1 करतारसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 2–1–14 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विरासतन इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 2–1–14 को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पटवारी हल्का को निर्देश दिये गये। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 3–1–14 को इंतकाल भरा गया एवं भू अभिलख निरीक्षक द्वारा दिनांक 6–1–14 को जॉच कर रिपोर्ट अंकित की गई। दिनांक 6–1–14 को सरपंच, ग्राम पंचायत, बगीचा, प0 सं0 रायसिंहनगर द्वारा इंतकाल स्वीकृत किया गया है।

चूँकि अपीलाधीन इंतकाल सरंपच, ग्राम पंचायत, बुगिया द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय को है। अतः हस्तगत अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की न होने के कारण खारिज की जाती है। उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र हैं। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 25–4–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।
25/4/16